राजस्व(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक: एफ.13(11)राज–1/2005 जयपुर,दिनांक: 2/9/05

आयुक्त,
भू–प्रबन्ध विभाग,
राज0, जयपुर

to all concerned

परिपत्र

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 106, 107 एवं 108 के अन्तर्गत भू–सर्वेक्षण प्रारम्भ किये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने पर भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रेकार्ड संभलाने से पूर्व तहसीलदार/ राजस्व कर्मचारी रेकार्ड में आवंटन/बटवारा आदि के आधार पर रेकार्ड में तरमीम कर भू–प्रबन्ध विभाग को देंगे, कई बार ऐसा नहीं हो पाता जिससे पूर्ण रिकार्ड के अभाव में भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारी समय पर कार्य शुरु नहीं कर पाते। इससे भू–प्रबन्ध की कार्यवाही में अनावश्यक देरी होती है।

अतः राज्य स्तर से जारी पूर्व परिपत्र संख्या एफ. 13(22)राज/ग्रुप–1/93 दिनांक 23.5.94 के बिन्दु संख्या 3 में आंशिक संशोधन इसी प्रकार किया जाता है कि जिन ग्रामों के लिए भू–प्रबन्ध विभाग सैटलमेन्ट के लिए अधिकृत है वहां के नक्शों में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित आवंटन आदेशों व बटवारा आदि के आदेशों जिनका अमल दरामद जमाबंदी में किया हुआ है, के आधार पर यदि पूर्व में तरमीम नक्शे में की हुई नहीं है तो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम की जा सकती है। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग इसके अतिरिक्त अपने स्तर पर किसी अन्य प्रकार की तरमीम के लिए अधिकृत नहीं होगा। यदि आवंटन आदेशों/बटवारा आदि का जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं है तो केवल आवंटन आदेशों/बटवारा आदेशों के आधार पर सैटेलमेन्ट विभाग कोई तरमीम नहीं करेगा व ऐसे मामलों में पहले जमाबन्दी में अमल दरामद के बाद ही तरमीम की कार्यवाही की जावेगी।

भू–सर्वेक्षण के सम्बन्ध में एल0आर0ए0 के अन्तर्गत बनाये गये नियम राजस्थान भू–राजस्व(सर्वे, रिकार्ड एवं बन्दोबस्त)(सरकारी) नियम 1957 एवं विभागीय मैन्युअल के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता है। एल0आर0ए0 की धारा 111 एवं 112 सपठित धारा 128 एवं 181 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शों में जमाबंदी के आधार पर तरमीम का कार्य किया जा सकता है।

शासन सचिव, राजस्व

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–का/भूप्रआ/समु/भूकर/11/8/1/85 पार्ट–III/3448-3501 दिनांक: 3/9/05

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) जिला कलेक्टर ---------- समस्त ----------
(2) भू–प्रबन्ध अधिकारी ---------- समस्त ---------- को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीन भू–प्रबन्धाधीन तहसीलों में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, निरीक्षक एवं भूमापकों को निर्देशित कर पालना से प्रधान को अवगत करावें।